RBE NO. 26/2001

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

No.E(NG)I/98/PM9/1 New Delhi, dated 06.02.2001

The General Managers
All Indian Railways,
(As per standard list).

Sub:- Selection to the category of Junior Cashier scale Rs.4000-6000.

In terms of Para 170 of IREM, Vol.I, 1989, 15% of the posts in the category of Junior Cashier in the pay scale Rs.1200-2040 (RPS)/Rs.4000-6000 (RSRP) are to be filled by selection from amongst the Sr. Clerks in pay scale Rs.1200-2040(RPS)/Rs.4500-7000)(RSRP) and Clerks in pay scale Rs.950-1500(RPS)/Rs.3050-4590(RSRP) in Cash & Pay Department having a minimum service of three years.

2. With the implementation of Vth Pay Commission recommendations vide Board's letter No.PC-V/97/1/RSRP/1 dated 16.10.97, Sr. Clerks in the IVth Pay Commission scale of pay Rs.1200-2040 have been allotted replacement scale of Rs.4500-7000, which is higher than the grade of Junior Cashier who are placed in the revised scale of pay of Rs.4000-6000.

2.1. In view of the above, the Ministry of Railways have reviewed the matter and decided that Senior Clerks will no longer be eligible to appear in the selection for promotion as Junior Cashier.

3. The Indian Railway Establishment Manual may also be amended as in the Advance Correction Slip No.114 enclosed.

(This also disposes of SE Rly.'s letter No.K/47A/Selection Cashier/365 dt. 24.5.99)

Please acknowledge receipt.

(J.S.Gusain)
Joint Director Estt.(N)
Railway Board.

DA: As above.

...2/-

No. E(NG)I-98/PM9/1 New Delhi, dated 06-02-2000

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, All India Railwaymen Federation, Room No. 253, Rail Bhavan, New Delhi (35 copies).

2. The General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen, Room No.256-E, Rail Bhavan, New Delhi (with 35 spares).

3. All Members, Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (with 90 spares).

4. The Secretary General, Federation of Railway Officers Association, Room No. 256-A, Rail Bhavan, New Delhi (with 5 spares).

5. The Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Association, Room No. 268, Rail Bhavan, New Delhi (with 5 spares).

for Secretary / Railway Board.

Copy to:-

PSs to MR,MSR(OR),MSR(D)

PPSs to CRB, FC,MS,MM,MT,ML,ME.

PPSs to AM(S),DG/RHS,DG/RPF, AM (B)Adv.(IR), Adv.(Vig.),

PSs to EDE, EDE(N),EDE(Res),EDA,EDE(RRB)

EDPCI&II,D(MPP),DF(CCA), DPC,DE(Res),JDE(R) I&II

JDE(Rep),JDE(D&A), JDPC,JDE(L),JDE(LL), JDE(LR)I,JDE(N),

JDE(N)II & III,DDE(R)I&II, DD(Code Revision), E(NG)II,E(O)III,

E(GR)II,E(Rep)I, II&III, E(SCT)I&II, E(MPP),SEC(E), PR Branch,

E(G) with two spares, AC-III(with 15 spares), Code Revision Cell

(with 5 spares).

....

INDIAN RAILWAY ESTABLISHMENT MANUAL, VOL.I, 1989

ADVANCE CORRECTION SLIP NO.114

Chapter –I, Section-B, Sub-section-III:-
Recruitment and Training

In Para 170 substitute the following for the existing Clause (i) of Sub-para (1) :-

"(i) 15% by selection from amongst Clerks in the pay scale of Rs.3050-4590 in the Cash and Pay Department having a minimum of three years service; and "

(Authority : Board's letter No.E(NG)I/98/PM9/1 dated 6.2.2001)

आर बी ई सं. 26 /2001

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (एन जी) I-98/पी एम 9/1 नई दिल्ली, दि. 6. [illegible] 2001

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें,
(मानक सूची के अनुसार).

विषय : 4000-6000 रु. के वेतनमान में कनिष्ठ रोकड़िया की कोटि के लिए चयन.

.....

भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द I, 1989 के पैरा 170 के अनुसार 1200-2040 रु. (सं. वे.)/4000-6000 रु. (रे. से. सं. वे.) के वेतनमान में कनिष्ठ रोकड़िया की कोटि के 15% पद रोकड़ एवं भुगतान विभाग में 1200-2040 रु. (सं. वे.)/4500-7000 रु. (रे. से. सं. वे.) के वेतनमान में कार्यरत वरिष्ठ लिपिकों और 950-1500 रु. (सं. वे.)/3050-4590 रु. (रे. से. सं. वे.) के वेतनमान में कार्यरत उन लिपिकों में से, जिन्होंने कम से कम तीन वर्ष की सेवा की हो, चयन द्वारा भरे जाएंगे.

2. बोर्ड के दि. 16.10.97 के पत्र सं. पी सी-V/97/I/आर एस आर पी/I द्वारा लागू की गई पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद चौथे वेतन आयोग के 1200-2040 रु. के वेतनमान के वरिष्ठ लिपिकों को 4500-7000 रु. का जो रिप्लेसमेंट वेतनमान दिया गया है, वह 4000-6000 रु. के संशोधित वेतनमान में कार्यरत कनिष्ठ रोकड़िया के ग्रेड से उच्चतर है.

2.1 उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय ने इस मामले पर पुनर्विचार किया है और यह विनिश्चय किया है कि वरिष्ठ लिपिक अब कनिष्ठ रोकड़िया के पद पर पदोन्नति के लिए चयन के पात्र नहीं होंगे.

2/.....

3. भारतीय रेल स्थापना नियमावली को संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 114 के अनुसार संशोधित किया जाए.

(इससे दक्षिण पूर्व रेलवे के दि. 24.5.99 के पत्र सं. के/47 स/सेलेक्शन केशियर/365 का निपटारा हो जाता है).

कृपया पावती दें.

(जे. एस. गुसाईं)
संयुक्त निदेशक, स्था. (अराज.)
रेलवे बोर्ड.

संलग्नक : यथोक्त

सं. ई(एन जी)I-98/पी एम 9/1 नई दिल्ली, दि. 6.2.2001

प्रतिलिपि अग्रेषित :-

1. महासचिव, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियां)
2. महासचिव, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियां)
3. सभी सदस्य, विभागीय परिषद् एवं राष्ट्रीय परिषद् तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद्, 13-सी, फिरोज़शाह रोड, नई दिल्ली (90 अतिरिक्त प्रतियां)
4. महासचिव, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)
5. महासचिव, इंडियन रेलवे प्रोमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड.

...3...

भारतीय रेल स्थापना नियमावली,
जिल्द-। (1989 संस्करण)
अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. ----114----------

अध्याय-।, खंड-ख, उप-खंड III-भर्ती एवं प्रशिक्षण

पैरा 170 में मौजूदा उप-पैरा (1) के खंड (i) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए :-

"(i) 15% रिक्तियां रोकड़ एवं भुगतान विभाग में 3050-4590 रु. के वेतनमान में कार्यरत लिपिकों में से, जिन्होंने कम से कम तीन वर्ष की सेवा की हो, चयन द्वारा और "

(प्राधिकार: बोर्ड का दिनांक 6.2.2001 का पत्र सं. ई (एन जी)।-98/पी एम 9/1).